कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

//आदेश//

क्रमांक– 67/कोरोना/दो–12–11/2020 जबलपुर,दिनांक– 25 अप्रैल 2021

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर के संशोधित आदेश क्रमांक 3801/एस.डब्ल्यू./2021 जबलपुर दिनांक 25.04.2021 के द्वारा संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत दिनांक 26.04.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 01.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (टोटल लॉकडाउन) बढाया/घोषित किया गया है, तथा नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया गया हैं।

अतः जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के उपरोक्त आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र (SOP) क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 एवं पूर्व में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में दिनांक 26.04.2021 से दिनांक 01.05.2021 तक लॉक–डाउन होने के कारण क्रिमिनल/सिविल प्रकरणों (जमानत प्रकरणों को छोड़कर) आगामी पेशी नियत की गई थी, ऐसी स्थिति में प्रकरणों को वर्चुअल सुनवाई में आगामी पेशी पर निम्नानुसार लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

क्र.	प्रकरणों में पूर्व से नियत दिनांक	प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक
01	26.04.2021	12.05.2021
02	27.04.2021	13.05.2021
03	28.04.2021	17.05.2021
04	29.04.2021	18.05.2021
05	30.04.2021	19.05.2021

नोटः–

1. यदि कोई पक्षकार अत्याधिक आवश्यकता के कारण प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कराना चाहता है, तो इसके लिये वह आवेदन देने के लिये स्वंतत्र हैं।
2. सत्र न्यायालय में लॉकडाउन अवधि के पूर्व से लंबित जमानत आवेदन पत्रों में शीघ्र सुनवाई के संबंध में यदि किसी अधिवक्ता को आवश्यकता है तो वह शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर लंबित आवेदनों के संबंध में कार्यवाही कराने हेतु स्वंतत्र है।
3. उक्त तिथियां सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरणों के लिये मान्य होगी।
4. उक्त तिथियां जबलपुर मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पाटन/सिहोरा स्थित समस्त न्यायालयों हेतु मान्य होगी।
5. उपरोक्त तिथियों में आवश्यकता पड़ने पर नियत तिथि पर परिवर्तन किया जा सकता है।

6. दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 11.06.2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण दिनांक 28.04.2021, 29.04.2021 एवं 30.04.2021 को नियत सिविल प्रकरणों को कमशः दिनांक 12.06.2021, 14.06.2021 एवं 15.06.2021 को नियत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठा.कं— /कोरोना/दो—12—11/2020 जबलपुर,दिनांक— अप्रैल 2021

<u>प्रतिलिपि</u>

1. समस्त अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर/सिहोरा/पाटन
2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1/वर्ग—2 जबलपुर/सिहोरा/पाटन
3. अध्यक्ष जिला/तहसील अधिवक्ता संघ जबलपुर/सिहोरा/पाटन
4. प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश महोदय जबलपुर को अवगत् कराने हेतु।
5. जूनियर सिस्टम् एनालिस्ट जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)